Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- नागौर के पुलिस थाना मकराना में हैड कानि0 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, *13 मार्च, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज नागौर में कार्यवाही करते हुये भूरसिंह हैड कानि0 863 पुलिस थाना मकराना, जिला नागौर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे खिलाफ पुलिस थाना मकराना में दर्ज प्रकरण में समस्त गवाहान के बयान दर्ज होने एवं पूछताछ पूर्ण होने के उपरांत भी अनुसंधान अधिकारी भूरसिंह हैड कानि0 द्वारा जेल भेजने की धमकी एवं प्रकरण में एफ.आर. लगाने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर इकाई के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के निर्देशन में स्पेशल यूनिट अजमेर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश** के नेतृत्व में दिनांक 14.02.2022 को शिकायत का सत्यापन करवाया गया उसी दिन आरोपी हैड कानि0 ने परिवादी से **8 हजार 500 रूपये** रिश्वत राशि ग्रहण कर ली तथा आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री संग्राम सिंह द्वारा** मय टीम नागौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **भूरसिंह** पुत्र श्री लोहडराम, निवासी ढहरिया पुलिस थाना नादौती जिला करौली हाल **हैड कानि0 863 पुलिस थाना मकराना जिला नागौर** को परिवादी से **5 हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं **Whatsapp** हैल्पलाईन नं.* 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।